# कार्यालय :– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल)

## विज्ञप्ति

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कालेज एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रववृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को 616 छात्रवृत्ति (308 बालकों तथा 308 बालिकाओं के लिए) संस्तुत की जानी है। इन छात्रवृत्तियों को विज्ञान, वाणिज्य एवं कला विषयों में क्रमशः 3:2:1 में वितरित किया जाना है। उपरोक्त छात्रवृत्ति हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) से वर्ष–2014 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण निम्न योग्यताधारी विद्यार्थी अर्ह होंगे :–

1. विज्ञान वर्ग में न्यूनतम 58 प्रतिशत अंक (290/500 अंक) तथा कृषि वर्ग में न्यूनतम 58.10 प्रतिशत अंक (581/1000 अंक) प्राप्त किये हों।
2. वाणिज्य वर्ग में न्यूनतम 51.8 प्रतिशत अंक (259 अंक) प्राप्त किये हों।
3. कला वर्ग में न्यूनतम 53.4 प्रतिशत अंक (267 अंक) प्राप्त किये हों।
4. संस्थागत विद्यार्थी के रूप में सत्र 2014–15 में किसी मान्यता प्राप्त कालेज के विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों।
5. जिन्हें किसी अन्य श्रोत से कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही हो।
6. जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय रूपया 6.00 लाख से अधिक न हो और क्रीमीलेयर की परिधि से बाहर हो।

इस छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रथम तीन वर्षों में रू0 10000.00 प्रतिवर्ष एवं चौथे तथा पांचवे वर्ष में रू0 20000.00 प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। उपरोक्त छात्रवृत्ति में आरक्षण की व्यवस्था केन्द्र सरकार के नियमानुसार है। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक सम्भव है। अतः छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति योग्यता सूची (Merit List) के अनुसार की जायेगी। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित जानकारी उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) की वेबसाईट www.ubse.uk.gov.in में Scholarship सेक्शन पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र परिषद् की वेबसाईट से डाउनलोड करने के पश्चात् पूर्ण रूप से पूरित कर पंजीकृत डाक अथवा वाहक के माध्यम से सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल), पिन–244715 के पते पर दिनांक 30 सितम्बर, 2014 सांय 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उसे निरस्त समझा जायेगा। डाक विलम्ब हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल) किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। आवेदन पत्र वर्तमान में अध्ययनरत, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अग्रसारित होना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थी का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि) की सी0बी0एस0 शाखा में बैंक खाता अवश्य होना चाहिए। किसी अन्य (जैसे पिता, माता, भाई, अथवा रिश्तेदार आदि) का बैंक खाता मान्य नहीं होगा। पूरित आवेदन पत्र के साथ निम्न संलग्नक लगाना अनिवार्य है :–

1. Joining Report attested by Head of Institution.
2. Copy of Mark sheet of class 12Th exam 2014.
3. Copy of caste certificate, if applicable.
4. Income affidavit on non-judicial stamp paper of Rs. 10.00 in original/Income certificate issued by SDM/Tahsildar.
5. Income Tax Return/Form-16 of both parents (of the year ending March-2014) issued by the employer.

आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण रूप से भरे हूएं आवेदन पत्र तथा संलग्न किये गये दस्तावेजों की छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रख लें।

05/8/2014

(डॉ0 डी0के0 मथेला)
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर (नैनीताल)